समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हरसिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

पृ.क्र.:सं.वि.क./विदे.छात्र/छात्राओं की जान./2025–26/1438 दिनांक :– 07 AUG 2025

प्रति,

1. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
   विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
   जिला–इन्दौर/धार/झाबुआ
2. विभागाध्यक्ष/निदेशक,
   समस्त अध्ययनशालाऐं,
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय :– सत्र 2025 2026 मे प्रवेशित विदेशी छात्र/छात्राओं की जानकारी देने बाबद।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि सत्र 2025–2026 में आपके शिक्षण संस्थान में यदि किसी विदेशी छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया गया हो तो संबंधित छात्र/छात्रा से ''क्लियरेंस प्रमाण– पत्र'' प्राप्त करें तथा संबंधित छात्र/छात्रा की समस्त जानकारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। यदि संस्थान द्वारा किसी भी विदेशी छात्र/छात्रा को बिना ''क्लियरेंस प्रमाण–पत्र'' के प्रवेश दिया गया है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृ.क्र.:सं.वि.क./विदे.छात्र/छात्राओं की जान./2025–26/1438 दिनांक 07 AUG 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 भारत।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, 5 वीं मंजिल, सतपुडा भवन, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला इन्दौर।
4. मा. कुलगुरूजी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाय
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नही। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो ,देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हरर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय–भवन
इन्दौर–452001

क्र.:सविक / विदे.–कश्मी.छात्र / छात्राओंकी जान. / 2025–2026/1439 दिनांक :– 07 AUG 2025

प्रति,

1 / प्राचार्य / प्राचार्या / संचालक / निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला–इन्दौर / धार / झाबुआ

2 / विभागाध्यक्ष / निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाऐं,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर।

विषय :– सत्र 2025–2026 मे प्रवेशित विदेशी तथा कश्मीरी विद्यार्थियों की जानकारी भेजने बाबद।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सूचित किया जाता हैं, कि सत्र 2025–2026 में आपके शिक्षण संस्थान महाविद्यालय / अध्ययनशाला में यदि किसी विदेशी तथा कश्मीरी छात्र / छात्रा को प्रवेश दिया गया हो तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को उपलब्ध करावें, ताकि शासन, प्रशासन को समय–समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय

कुलसचिव

क्र.:सविक / विदे.–कश्मी.छात्र / छात्राओंकी जान. / 2025–2026/1439 दिनांक 07 AUG 2025

प्रतिलिपि :

1 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
2 कुलगुरूजी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण